

तीन हफ्तों में 20 बार बढ़े पेट्रोल के दाम, 25 पैसे की हुई बढ़ोतरी

नई दिल्ली, 27 जून (भाषा)।

पेट्रोल की कीमत में शनिवार को प्रति लीटर 25 पैसे और डीजल के दामों में 21 पैसे की वृद्धि होने के बाद तीन हफ्तों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में अब तक क्रम से 9.12 और 11.01 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है।

पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.13 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 80.38 प्रति लीटर हो गई है, वहीं डीजल के दाम 80.19 रुपए से बढ़कर 80.14 प्रति लीटर

सात जून से कुल 9.12 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल, 21 पैसे बढ़े डीजल के दाम दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 80.38 प्रति लीटर, 80.14 प्रति लीटर हुआ डीजल

हो गए हैं।

वाहन ईंधन के दाम देशभर में बढ़ाए गए हैं, लेकिन स्थानीय बिक्रीकर या मूल्यवर्धित कर (वैट) की वजह से विभिन्न राज्यों में

इनकी कीमतों में अंतर होता है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 86.91 रुपए से बढ़कर 87.14 प्रति लीटर हो गई है और डीजल की कीमत 78.51 रुपए से बढ़कर 78.71 रुपए प्रति लीटर हो गई है। एक ओर जहां डीजल के दामों में लगातार 21वें दिन बढ़ोतरी हुई है, वहीं पेट्रोल की कीमत पिछले तीन हफ्तों में 20वें बार बढ़ी है। सात जून से पेट्रोल कुल 9.12 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। वहीं इस दौरान डीजल कीमतों में 11.01 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।

यह केंद्र की सरासर मुनाफाखोरी : यशवंत सिन्हा


पटना, 27 जून (भाषा)।

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने शनिवार को आरोप लगाया कि योजना पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि कर केंद्र बस मुनाफाखोरी कर रहा है।

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि एक तरफ केंद्र ने अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की जबकि दूसरी तरफ उसने उन लोगों को लूट लिया जो मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और अन्य वाहनों से सफर करते हैं।

शनिवार को जहां डीजल के दामों में लगातार 21वें दिन वृद्धि की गई वहीं पेट्रोल की

कीमत पिछले तीन हफ्तों में 20 बार बढ़ चुकी है। सिन्हा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ऐसे कई मौके आते हैं जब पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि करना अनिवार्य हो जाता है।



लोकन में अपने अनुभवों के आधार पर आपको बता सकता हूँ कि आज की परिस्थिति में यह और कुछ नहीं बल्कि सरासर मुनाफाखोरी है। उन्होंने कहा, यह जानना दुर्भाग्यपूर्ण एवं निराश करने

वाला है कि सरकार मुनाफाखोरी का सहारा ले रही है। सिन्हा ने कहा कि यह सबको पता है कि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हैं।

बैंकिंग नियमन (संशोधन) अध्यादेश पर राष्ट्रपति की मुहर

नई दिल्ली, 27 जून (भाषा)।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सभी शहरी सहकारी बैंकों और बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने वाले 'बैंकिंग नियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020' को मंजूरी दे दी है।

एक आधिकारिक बयान में शनिवार को कहा गया कि बैंकिंग नियमन कानून, 1949 में अध्यादेश के जरिए किया गया संशोधन सहकारी बैंकों पर भी लागू है।

बयान के मुताबिक, अध्यादेश का मकसद अन्य बैंकों के संबंध में आरबीआई के पास पहले से उपलब्ध शक्तियों को सहकारी बैंकों तक बढ़ाकर उनके कामकाज और निगरानी में सुधार और श्रेष्ठ बैंकिंग नियमन लागू करके, और पेशेवर आचरण सुनिश्चित करके तथा पूंजी तक पहुंच में उन्हें सक्षम बनाकर, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और सहकारी बैंकों को मजबूत बनाना है। इसमें कहा गया कि यह संशोधन राज्य सहकारी कानून के तहत राज्य सहकारी समिति पंजीयक की मौजूदा शक्तियों को प्रभावित नहीं करता है।

बयान में कहा गया है कि ये संशोधन प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसएस) या सहकारी समितियों पर लागू नहीं होते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक कर्ज देना है, और जो बैंक, बैंकर या बैंकिंग जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं, और चेक अदा नहीं करते हैं।

बयान में यह भी कहा गया कि अध्यादेश बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 45 में भी संशोधन करता है, ताकि जनता, जमाकर्ताओं और बैंकिंग प्रणाली के हितों की रक्षा के लिए किसी भी बैंकिंग कंपनी के पुनर्गठन या विलय की योजना बनाई जा सके।

भारत में 1,482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहु-राज्यीय सहकारी बैंक हैं, जिनके पास 8.6 करोड़ जमाकर्ताओं की लगभग 4.85 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा है। यह निर्णय पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक सहित कुछ सहकारी बैंकों में हुए घोटालों के मद्देनजर महत्व रखता है, जिससे लाखों ग्राहक प्रभावित होते हैं।

अड़ाणी ग्रीन एनर्जी को 2,500 करोड़ रुपए जुटाने की शेरशायकों की मंजूरी
अड़ाणी ग्रीन एनर्जी को 2,500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए शेरशायकों की मंजूरी मिल गई है। कंपनी की वार्षिक प्रतिवेदन को हुई पांचवीं वार्षिक आमसभा में यह मंजूरी मिली।

शेरशायकों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि 25 जून, 2020 को हुई सालाना आम बैठक में सभी प्रस्तावों को शेरशायकों ने बहुमत के साथ मंजूरी दे दी।

ARCOTECHE LIMITED
CIN:L34300HR1981PLC012151, 181, Sector-3, Industrial Growth Centre, Bawal, Distt. Rewari, Haryana-123501 Website: www.arcotech.in, Email: contact@arcotech.in, Tel: 0128-4264160

NOTICE is hereby given that the meeting of Board of Directors scheduled to be held on Tuesday, June 30, 2020, inter alia to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended on March 31, 2020 stand Cancelled.

The Closure of the trading window as intimated to the Stock Exchange in earlier will continue till the declaration of financial results of the Company for the Quarter and year ended March 31, 2020 and two days thereafter.

The Company will inform the revised date of Board Meeting in due course.

Intimation is also available on the website of the company (www.arcotech.in) and Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com).

FOR ARCOTECHE LIMITED
Place: New Delhi KRISHAN KUMAR MISHRA
Date: 27.06.2020
COMPANY SECRETARY

ईडी ने नरेश गोयल के खिलाफ जांच बंद करने का किया विरोध

मुंबई, 27 जून (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेट एअरवेज, उसके प्रवर्तक नरेश गोयल और उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में जांच बंद करने की मुंबई पुलिस की दलील का विरोध किया है। ईडी ने आदालत के समक्ष दायित्व अर्जी में कहा है कि पुलिस ने इस मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार नहीं किया है। जेट एअरवेज, गोयल और उनकी पत्नी अनीता पर मुंबई के अकबर ट्रेवल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई शिकायत के आधार पर एमआरए मार्ग पुलिस ने इस साल फरवरी में धोखाधड़ी तथा विश्वासघात का एक आपराधिक मामला दर्ज किया था।

पूर्वांतर रेलवे

खुली ई-निविदा सूचना संख्या N-BSBONS-OT-1-2020

मण्डल रेल प्रबंधक/सिग एवं दूरसंचार/पूर्वांतर रेलवे/आरएनसी कृते एवं भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिये 'खुली-ई' निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्रमांक-1. निविदा सूचना संख्या एवं कार्य का नाम: N-BSBONS-OT-1-2020: कार्य का नाम: चाराणरी विभजन के मंडुवाडीह स्टेशन में टावर वेगन शेड, ओ.एच.ई. क्रिपो एण्ड शक्ति नेक के एक्सटेंशन के प्राबन्धन हेतु एक्सटेंशन रुट रोले इंटरलॉकिंग सीमेंस में संसोधन एवं जुड़ाव के साथ इंडोअर एवं आउटडोर कार्य। विवरण: अनुमानित लागत: ₹ 16,02,454.56, बयान की राशि: ₹ 32,100/-, निविदा प्रपत्र की कीमत: ₹ 2,000/-, कार्य पूर्ण करने की अवधि: 90 दिन। निविदा बंद होने की अंतिम तिथि एवं समय: 23-07-2020 को 15:00 बजे। (1) ई-निविदा दिनांक 23-07-2020 को 15:00 बजे तक आन लाइन जमा किया जा सकेगा। (2) पूर्ण विवरण की जानकारी प्राप्त करने एवं निविदा की प्रस्तुति करने के लिये भारतीय रेलवे की वेबसाइट i.e. www.iwebs.gov.in देखें।

मण्डल रेल प्रबंधक/सिग एवं दूरसंचार मुजाधि/सिगनल-08 चाराणरी

यारी सुविधा सम्बन्धित विषयवस्तु हेतु, मो. नं.: 0979485955 पर एक्सप्रेस करें।

गाड़ियों की छतों व पावदान पर कचरापि याना न करें।

HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED
Registered Office: B-28 Safdarjung Enclave New Delhi-110029
CIN:L74899DL1989PLC01191

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled and will now be held on Thursday, July 30 at 1:00 P.M. inter alia, to consider and approve the Audited financial results of the Company for quarter and year ended on 31st March, 2020.

The information contained in this notice is also available on the Company's website at www.bagle.com and the website of the Stock Exchange BSE Limited- www.bseindia.com.

INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED
Registered Office: 14 (II FLOOR, FRONT BLOCK), SAGAR APARTMENTS, 6, TILAK MARG NEW DELHI-110001
CIN: L74899DL1989PLC053034
Website: www.internationalsecuritieslltd.com
Email: -is@islltd.net.in

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled and will now be held on Thursday, July 30, 2020, at 11:00 A.M. inter alia, to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the year and quarter ended on 31st March, 2020.

The information contained in this notice is also available on the Company's website at www.internationalsecuritieslltd.com and the website of the Stock Exchange Metropolitan Stock Exchange of India Ltd.- www.mse.com.

FOR INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED
Place: New Delhi RAJEEV KUMAR GUPTA
Date: 26.06.2020
Whole-Time Director
DIN: 00039399

फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड
CIN : L15133UR1990PLC023970

रजिस्टर्ड ऑफिस : लाल टापर इंडस्ट्रियल एरिया, पी.ओ. रेशम मजरी, हरिद्वार रोड देहरादून (उत्तर)
फोन : 0135-2499234, फैक्स : 0135-2499235, वेबसाइट : www.flexfoodslltd.com, ईमेल : secretarial@flexlltd.com

31.03.2020 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के दौरान अंकेषित वित्तीय परिणाम (₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त तिमाही (अंकेषित)	31.12.2019 को समाप्त तिमाही (अंकेषित)	31.03.2019 को समाप्त तिमाही (अंकेषित)	31.03.2020 को समाप्त वर्ष (अंकेषित)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (अंकेषित)
1.	कुल आय	1748	2054	2028	8337	8701
2.	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	132	68	365	570	1099
3.	अवधि के लिए कर पूर्व पचासवां शुद्ध लाभ/(हानि)	218	102	510	679	1103
4.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (शामिल लाभ/हानि)					
क. परभाव और अन्य व्यापक आय (शुद्ध कर आय)		191	102	477	652	1070
ख. सम्पुन्य अंतर पूंजी (एफवी ₹ 10/- प्रत्येक)		1245	1245	1245	1245	1245
5.	अन्य इक्विटी, पुनर्मुल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त 31 मार्च 2019 के तुलन पर के अनुसार					
6.	आय प्रति शेयर ₹ 10/- रु में (पुनर्मुल्यांकन नहीं)					
7.	भूत ताल	1.75	0.82	4.10	5.45	8.86
8.		1.75	0.82	4.10	5.45	8.86

स्थान : नोएडा दिनांक : 27.06.2020

ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड
CIN: L67120DL1992PLC049893

पंजी. कार्यालय: 487/63, 1ला तल, नेशनल मार्केट, पीएमजी, नई दिल्ली-110087

31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए अंकेषित स्टेटुटलान तथा समाकृत वार्षिक परिणामों का विवरण (₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	स्टेटुटलान		समाकृत		
		समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	
		31.3.2020 (अंकेषित)	31.12.2019 (अंकेषित)	31.3.2020 (अंकेषित)	31.3.2019 (अंकेषित)	
1.	परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	2788.12	3667.88	4485.60	14636.32	13214.68
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर विहित एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	85.28	49.30	36.73	224.46	186.12
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशेष एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	85.28	49.30	36.73	224.46	186.12
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशेष एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	85.28	49.30	36.73	161.00	131.57
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	85.28	49.30	36.73	161.00	131.57
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	5072.06	5072.06	5072.06	5072.06	5072.06
7.	अंकेषित (पूर्व वर्ष के अंकेषित तुलन पर में दशाई मद पुनर्मुल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त आरक्षित)	-	-	7565.34	7404.34	11342.46
8.	आय प्रति शेयर (₹. 1/- प्रति का) (जारी तथा अवकाश प्रचलनों के लिए) (वार्शिकीकृत नहीं)	0.017	0.010	0.007	0.032	0.026
	क्र. मुद्रा : रु. (₹) तल :	0.017	0.010	0.007	0.032	0.026

टिप्पणियाँ:
1. उपरोक्त परिणामों जिसकी ऑडिट कमीटी द्वारा समीक्षा की गई, को 27 जून 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।
2. कम्पनी केवल बंद में प्रयाशन करती है, अतः बंद चार दिनों में संशोधित वर्षक कम्पनी पर लागू नहीं है।
3. अंकेषित वित्तीय अंकेषित परिणामों को तथा संशोधित तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में विनिर्दिष्ट रूप में कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) निगमावली, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंग्लिश) के लागू होने वाले परिचय तथा मानक के विधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।
4. कम्पनी पर परिचयपत्रों पर संबद्धता विवरण किया है। इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन की संभावित अनिश्चितताओं से संबंधित परिचयपत्रों की विवेक करने में कम्पनी ने इन वित्तीय परिणामों की वार्षिकी की तिथि को कम्पनी को प्रभावित नहीं प्रदर्शन पर आर्थिक तथा वास्तविकता का उपयोग किया है।
5. शीतल की नामक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में संशोधित तथा विनिर्दिष्ट रूप में कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) निगमावली, 2015 में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एएमसी) द्वारा अधिसूचित रूप में इंटरनल 33 के अनुसार की गई है।
6. उक्त वार्षिक अवधि के वार्षिक (उद्घाटन के अनुसार बनने के लिये यहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि के आंकड़े पुनर्मुल्यांकन/पुनर्गठित किए गए हैं।

ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के लिये
हस्ता/ -
धीरज कुमार शिरोडिया
निदेशक
DIN: 07847284

कामा होल्डिंग्स लिमिटेड
(सीआईएन: L92199DL2000PLC104779)

पंजीकृत कार्यालय: द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार, यूनिट संख्या 236 व 237, द्वितीय तल, मयूर प्लेस, नोएडा लिंक रोड, मयूर विहार फेज 1 एक्सटेंशन, दिल्ली-110091

कॉर्पोरेट कार्यालय: ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुरुग्राम-122003

दूरभाष संख्या: (+91-124) 4354400 • फैक्स: (+91-124) 4354500

ईमेल: info@kamaholdings.com • वेबसाइट: www.kamaholdings.com

सूचना - बैठक का स्थान

भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (लिरिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, 2015 की नियमावली 29 के साथ पठित नियमावली 47 एवं लागू होने योग्य अन्य प्रावधानों के अनुपालन में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कामा होल्डिंग्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक को सोमवार, 29 जून 2020 को, अन्य बातों के अतिरिक्त, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के अंकेषित वित्तीय परिणामों के अनुमोदन तथा समीक्षा अंशों पर अंतिम लाभांश की अनुमति, यदि कोई हो, पर विचार हेतु आयोजित होना निश्चित थी, को उक्त उद्देश्य हेतु शुक्रवार, 3 जुलाई 2020 को लिए पुनर्निर्धारित किया गया है।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् www.kamaholdings.com एवं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते कामा होल्डिंग्स लिमिटेड
हस्ता/ -
एकता महेश्वरी
स्थान: गुरुग्राम (पूर्ण कालिक निदेशक, मुख्य वित्त अधिकारी)
दिनांक: 27 जून, 2020 एवं कम्पनी सचिव

कर्नाटका बैंक लिमिटेड
सम्पूर्ण सार्वजनिक अर्थोपार्थक्य, बैंक

प्रधान कार्यालय: मंगलूर - 575 002 CIN : L85110KA1924PLC001128

आरिष्ठ वरुली प्रबंधन शाखा 8-वीं, प्रथम तल, राजेंद्र पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060 फोन: 011-25813466, मो: 9319891680

ई-मेल: delhiarnab@ktbkbank.com, वेब: www.karnatakabank.com

अचल सम्पत्ति की सूचना

वित्तीय परिणामों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2020 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निगमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की विवरी के लिये ई-नीलामी विवरी सूचना

एतद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (को) तथा गारन्टर (सें) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास गिरवी/चाई-नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कर्णाटक बैंक लि, प्रतिभूति क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 23.01.2020 से संकेतिक कब्जा किया गया है को (1) में, आम ट्रेडर्स, प्रतिनिधि व्यवहार उसक प्रांस्ट्रॉइटर श्रीमती पुष्पा यादव, प्लॉट नं. 80/8, ब्लॉक के-6, मोहन गार्डन, नई दिल्ली-110059, 2) श्रीमती पुष्पा यादव, पत्नी श्री सुरेंद्र यादव, 3) श्री सुरेंद्र यादव, पुत्र श्री रामफल यादव, दोनों (2) एवं (3) निवासी: एच. नं. 249, हरहासल गॉव, उत्तम नगर, परियम दिल्ली-110059 जो ऋणधारक/ गारन्टर सह-देनदार हैं, से कर्णाटक बैंक लि, पश्चिम विहार शाखा, नई दिल्ली, ए-4/45, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063, प्रतिभूति क्रेडिटर के कर्णार्थक्य के बकाए प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2020 के अंतर्गत 1.6.2020 से आगे के ब्याज तथा लागतों के सात रु. 80,92,346.66 (रुपए अस्सी लाख चाराने हजार तीन सौ छियासठ तथा पैसे छियासठ मात्र) की वसुली के लिये 4.8.2020 को "जैसा है जहां है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर विवरी की जायेगी।

आरिष्ठ मूल्य तथा अपरिपेक्ष मूल्य जिससे कम में सम्पत्ति की विवरी नहीं की जायेगी: रु. 90,00,000.00 (रुपये नवै लाख मात्र) है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री सुरेंद्र यादव एवं श्रीमती पुष्पा यादव के ब्यामिन्व में ब्लॉक के-6, उत्तम नगर, नई दिल्ली में मोहन गार्डन के नाम से विवित्त आधारों में ग्राम महत्साल की राखत सम्पदा में स्थित खसरा नं. 40/18(4-6) खाता खलीनों को, 24/2/21 ग्राम के भाग में एक मंजिला आवासीय सम्पत्ति स्थित नं. 80 ए, माप 200 वर्ग गार्डन का समी भाग तथा हिस्सा।

चौहद्दी: पूर्व: प्लॉट का भाग, पश्चिम: 25 फीट चौड़ा रोड, उत्तर: प्लॉट का भाग, दक्षिण: 15 फीट चौड़ा रोड

जमा/परिसुत की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 9,00,000.00 (रुपये नौ लाख मात्र) है। (ऋणधारकों/गैरजारी का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विवित्तित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।)

(इस सूचना को ऋणधारकों/गारन्टरों के लिए प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली-2002 के नियम (8) के उप-नियम (6) के अंतर्गत सूचना भी जारी जाएगी)

विवरी के असीमित विस्तार के साथ पॉर्टल: <http://www.bankauctions.in> पर किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाता को <https://bankauctions.in> पर अपना नाम निश्चुलीकृत करना होगा तथा मै. 4 क्लोजिंग, 605 ए, छटा तल, नैवमिशन, अर्णायक, हैदराबाद-500038, सम्पर्क नं. 040-23736405, मोबाइल 8142000809, ईमेल: vikas@bankauctions.in तथा info@bankauctions.in से ई-नीलामी (अनुमति: 03.08.2020 को) पर ऑन लाइन प्रतिक्रिया प्राप्त करना होगा।

स्थान: दिल्ली दिनांक: 26.06.2020

मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
कर्णाटका बैंक लि. के लिए

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 में जन्म लेने वाला "CENTRAL TO YOU SINCE 1911"

शाखा कार्यालय: गाँव सेहानी, मेरठ रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
पारिशिट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जैसा कि, वित्तीय परिणामों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2020 के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेहानी, गाजियाबाद शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रवर्तक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 15.01.2020 जारी कर ऋणधारक श्री मनोज कुमार गोयल पुत्र स्व. श्री लाजपत राय गोयल, जी-47, सेक्टर-6, नोएडा, उ.प्र.-201301 तथा श्रीमती कविता रानी गोयल, पत्नी श्री मनोज कुमार गोयल, गारंटर्स श्री विकास गोयल, पुत्र श्री लाजपत राय गोयल, सी-मुल्गोहर एक्सेल्वे, प्लॉट नं. 509, गाजियाबाद एवं श्रीमती शालिनी गोयल, पत्नी श्री विकास गोयल को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 1,97,75,979/- (रुपये एक करोड़ सत्तानवे लाख पचहत्तर हजार नौ सौ उन्चासी मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे अतः एतद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 24.06.2020 को अयोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उक्त प्रवर्तक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 1,97,75,979/- (रुपये एक करोड़ सत्तानवे लाख पचहत्तर हजार नौ सौ उन्चासी मात्र) के लिये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेहानी, गाजियाबाद शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा (13) की उप-धारा(8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

अयोहस्ताक्षर का सभी भाग तथा हिस्सा :

(1) श्री विकास गोयल, पुत्र स्व. श्री लाजपत राय गोयल एवं श्रीमती शालिनी गोयल, पत्नी श्री विकास गोयल के नाम में आवासीय कॉलोनी कविनगर, गाजियाबाद, जिला एवं तहसील गाजियाबाद में स्थित सम्पूर्ण फ्रीहोल्ड आवासीय सम्पत्ति सं. केएफ-23-ए जिसका क्षेत्रफल 147.565 वर्ग मी. है। चौहद्दी: पूर्व : सम्पत्ति सं. केएफ-23-बी पश्चिम : सम्पत्ति सं. केएफ-23-सी उत्तर : मकान सं. केएफ-23-सी दक्षिण : 80 फीट चौड़ा रोड

(2) श्री विकास गोयल, पुत्र स्व. श्री लाजपत राय गोयल एवं श्रीमती शालिनी गोयल, पत्नी श्री विकास गोयल के नाम में आवासीय कॉलोनी कविनगर, गाजियाबाद, जिला एवं तहसील गाजियाबाद में स्थित सम्पूर्ण फ्रीहोल्ड आवासीय सम्पत्ति सं. केएफ-23सी जिसका क्षेत्रफल 388.47 वर्ग मी. है साईट के अनुसार। चौहद्दी : पूर्व : सम्पत्ति सं. केएफ-24 पश्चिम : सम्पत्ति सं. केएफ-22 उत्तर : अन्य सम्पत्ति, दक्षिण : रोड 80 फीट एवं सम्पत्ति सं. केएफ-23ए एवं सम्पत्ति सं. केएफ-23-बी

वित्तीय परिणामों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के अंतर्गत पूर्व में जारी की गई सभी सूचना वापस ली जाती है।

स्थान: गाजियाबाद दिनांक: 24.06.2020 प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

DCM LIMITED Regd. Office: 2050-2052, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lala Khurana Marg, Bara Hindu Rao, New Delhi-110006
CIN: L74899DL1889